



डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2019 / 9768

दिनांक : 10.1.2019

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य,
सम्बद्ध समस्त नवीन व पूर्व संचालित स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

विषय: सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अवस्थापना की उपलब्धता/शिक्षकों की मानकानुसार नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको निर्देश दिया जाता है कि आपके महाविद्यालय में नवीन व पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को गुणवत्तायुक्त पठन पाठन के संचालन हेतु संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों के सापेक्ष शिक्षकों तथा अवस्थापना सम्बन्धी मानकानुसार मूलभूत सुविधाओं को सत्र 2019-2020 के प्रारम्भ होने के पूर्व अर्थात् 30 जून, 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें, अन्यथा की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 के अन्तर्गत सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रामचन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर व महाविद्यालयों की लागिन पर अपलोड करें।
3. पत्रावली।

(रामचन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव